प्रेस.विज्ञप्ति दिनांक 03.07.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

'भिलाई निगम ने अवैध अतिक्रमण से प्रभावित 7 परिवारों को दिया अस्थायी आवास'

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी परिचय दिया है। शुक्रवार को निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित 7 परिवारों को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी आवास आबंटित किए गएए ताकि स्थायी आवास बनने तक उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

हाल ही में माननीय उच्च न्यायालयए बिलासपुर के आदेश के पालन में निगम ने अवैध कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की थी। जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया गयाए उसी स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी निभाते हुए निगम ने उन्हें अस्थायी आवास उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन ने कहा कि सरकार और निगम का उद्देश्य केवल अवैध कब्जे हटाना नहींए बल्कि पात्र जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही इन परिवारों को स्थायी आवास मिलेंगे।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेए इसके लिए लॉटरी प्रणाली से अस्थायी आवास आबंटित किए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा ताकि परिवार जल्द अपने स्थायी घरों में प्रवेश कर सकें। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हाए उपायुक्त दिनेश कोसरियाए अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गाए जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ताए उप अभियंता दीपक देवांगनए पार्षद गिरजा बंछोरए सरिता देवी तथा आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन उपस्थित रहे।

संलग्न.फोटो **जनसम्पर्क अधिकारी**